an>

Title: Need to increase the punishment and fine for offences of cruelty to animals.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) ः प्रीवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनीमल एक्ट, 1960 के सेक्शन 11 के अंतर्गत जानवरों पर दुराचार करने पर दोषी व्यक्ति को 5 रूपए से लेकर अधिकतम केवल 100 रूपए जुर्माना भरना होता है। भले ही व्यवहार कितना ही निर्मम क्यों न हो अधिकतम सजा मात्र तीन माह जेल है। हाल ही में चेन्नई में एक कुत्ते के साथ जो भयावह व्यवहार किया गया, उस दृश्य ने समाज को दंग कर दिया।

2012 से 2015 के बीच केवल 3 वर्षों के अंतराल में जानवरों पर अमानवीय अत्याचार के 24,000 से ज्यादा मामले सामने आये हैं। लोग अपने मनोरंजन के लिए मूक जानवरों के प्राणों पर संकट खड़ा करने से बाज नहीं आते जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

अतः मेरा अनुरोध है कि जानवरों के प्रति होने वाले अपराधों को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि जुर्माने की राशि एवं जेल की सजा दोनों में वृद्धि की जाये।